प्रेस विज्ञप्ति
18.08.2025

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), रांची जोनल कार्यालय ने 14/8/2025 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत अंकित राज से संबंधित 3.02 करोड़ रुपये मूल्य की तीस (30) चल/ अचल संपत्तियों को अनंतिम रूप से कुर्क किया है।

ईडी ने 15 दिसंबर, 2023 को झारखंड पुलिस द्वारा दर्ज सोलह एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की, जिसमें जबरन वसूली, अवैध रेत खनन, सरकारी काम में बाधा डालने और झारखंड टाइगर ग्रुप नामक एक उग्रवादी समूह संचालित करने के आरोप शामिल थे।

जाँच के दौरान, ईडी ने अपराध की आय (पीओसी) से संबंधित साक्ष्य जुटाने के लिए 12 मार्च, 2024, 13 मार्च, 2024 और 4 जुलाई, 2025 को तलाशी ली। अंकित राज के अवैध रेत कारोबार से संबंधित दस्तावेज जुटाने के लिए 18 जुलाई, 2025 को हजारीबाग स्थित जिला खनन कार्यालय में भी सर्वेक्षण किया गया।

गवाहों के बयानों, जिला खनन प्राधिकरणों के दस्तावेजों और डिजिटल उपकरणों से प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर, जांच से पता चला कि अंकित राज ने सोनपुरा घाट के लिए खनन लाइसेंस 2019 में समाप्त होने के बाद भी हाहरो, प्लांडू और दामोदर नदियों से अवैध रूप से रेत निकालना जारी रखा।

कथित तौर पर, अंकित राज और उसके साथियों ने रेत के अवैध खनन, भंडारण और परिवहन के लिए एक परिष्कृत, बहुस्तरीय प्रणाली का इस्तेमाल किया। यह कार्य खनन नियमों की जानबूझकर अवहेलना और सरकारी प्राधिकरण का दुरुपयोग करके अवैध लाभ को अधिकतम करने के लिए किया गया था। इन गतिविधियों के परिणामस्वरूप, अंकित राज ने पीओसी अर्जित की। इस मामले में कुल 3.4 करोड़ रुपये की कुर्की/जब्ती की गई है।

आगे की जांच जारी है।